

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022023-243791
CG-DL-E-22022023-243791

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 764]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 2023/फाल्गुन 3, 1944

No. 764]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023/PHALGUNA 3, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2023

का.आ. 797(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1401(अ), दिनांकित 31 मई, 2013 के द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 234 (नई सं. 75) के आंध्र प्रदेश – वेल्लेर पर समाप्त होने वाले तमिलनाडु सीमा (किमी 0.000 से किमी 56.000) तक के खंड को तमिलनाडु राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 234 (नई सं. 75) के आंध्र प्रदेश – वेल्लेर पर समाप्त होने वाले तमिलनाडु सीमा (किमी 0.000 से किमी 56.000) तक खंड के 0.85 किमी (चार लेन अथवा अधिक एकल खंड के उपयोग के लिए) की निवल सड़क खंड लंबाई के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर और 48.503 किमी (पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए आधार दर के 60% तक) की निवल सड़क खंड लंबाई हेतु नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा(ओं) में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा (चैनेज) की अवस्थिति	लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है	दर, जिस पर फीस संदेय है।
तमिलनाडु राज्य के वेल्डोर जिले के के. वी. कुप्पम तालुक में फिलांतिपट्टू गांव के निकट रारा-234 के किमी 40/950 पर	0.850 किमी (चार लेन)	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	48.503 किमी (पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन)	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2022-23 के लिए 315.00 रु. (तीन सौ पंद्रह रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

3. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-3		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

4. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए में विनिर्दिष्ट फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।
6. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
7. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
8. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
9. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 141.43 करोड़ रु. है। [भूमि अधिग्रहण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, आदि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है और अंतिम पूंजीगत लागत को पृथक् रूप से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा तथा पूंजीगत लागत की वसूली के पश्चात् उदग्राह्य फीस घटाकर दरों के 40% तक कर दी जाएगी और कथित नियमों के अनुसरण में वार्षिक रूप से संशोधित की जाएगी।

[फा. सं. आरओ/चेन्नै/एमओआरटीएच/12014/एनएच-234/31/टोल/2021-22]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2023

S.O. 797(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.1401(E) dated 31st May 2013, issued under section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted the stretch from Andhra Pradesh – Tamil Nadu Border terminating at Vellore (from Km 0.000 to Km 56.000) of National Highway No.234 (New No.75), in the State of Tamil Nadu to the State Government of Tamil Nadu.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section of 0.85 Km [for the use of four and more alone section] and 48.503 Km [at sixty per cent of the base rate for use of two lane with paved shoulder section] on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below from Andhra Pradesh – Tamil Nadu Border terminating at Vellore (from Km 0.000 to Km 56.000) of National Highway number 234 (New.No.75) in the State of Tamil Nadu and authorizes the National Highways Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE-1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65

Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three- axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

TABLE-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length(in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km 40/950 of NH-234, near village Phillanthipattu in K.V.Kuppam Taluk of Vellore District of State of Tamil Nadu	0.850 Km (Four Lane)	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
	48.503 Km (Two lane with Paved Shoulder)	60% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. The rate of Monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.315.00 (Rupees Three Hundred and Fifteen Only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

TABLE-3		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and one-half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 141.43 Crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of capital cost; the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. RO/Chennai/MoRTH/12014/NH-234/31/TOLL/2021-22]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.